THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) The text of the letter to be exchanged between the Governments of India and Switzerland, for mutual assistance in criminal matters, have been finalised The Swiss Federal Authorities are initiating the process of obtaining Federal Council approvals.

Assistance in specific cases can be secured on the fulfilment of the criteria of dual criminality. Formal proceedings would, therefore, depend on the result of investigations.

Ban on the use of Chloramphenicol and Streptomycin combination

*172. DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY:
DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to ban the use of Chloramphenicol plus Streptomycin combination; and

(b) if so, by when the notification is likely to be issued?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes, Sir.

(b) The Ministry issued a Notification banning these combinations vide G.S R. No. 1057(E) dated 3-11-1988 for Publication in the Gazette of India (Extra-ordinary) which has been made available to the public on 18-11-1988.

महाराष्ट्र में 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं

*173. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन की लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है और जो गत तीन वर्षों से महाराष्ट्र में लागू की जा रही है;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना को पूरा किए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) से (ग) त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली के अन्तर्गत आने वाली केंद्रीय परियोजनाओं के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 18 परियोजनाएं पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र में कार्यान्वयनाधीन है। इन परियोजनाओं को दिनांक 31-10-85 को अथवा इससे पहले अनुमोदन किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों के अधीन इन परियोजनाओं का वितरण नीचे दिये अनुसार है :-

कोयला	7
पैट्रोरसायन	1
पेट्रोलियम	2
रेलवे	5
भूतल-परिवहन	3

18 परियोजनाओं की सूची में ये परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जैसे बम्बई सुदूर तटीय पैट्रोलियम, रेलवे तथा अन्य परियोजनाएं जो अनेक राज्यों से संबंधित है।

18 परियोजनाओं के संबंध में ब्योरा, उनके अनुमोदन की तारीख, चालू करने की तारीख-मूल एवम प्रत्याशित, अनुमोदित लागत तथा पूरा होने पर प्रत्याशित, तथा महीनों में विलम्ब की बतायी गई स्थिति तथा प्रतिशत मात्रा में लागत वृद्धि उस विवरण पत्र के अनुबंध में दी गयी है [देखिये परिशिष्ट 148, अनुपत्र सं. 66]